

12/12/24

पशावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 12 के विचार
 एक पञ्जीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।
 अधि. प्रार्थी को एक पञ्जीय सुना गया। हकों का
 निर्धारण मूल वाद में तय होना है जिसमें अप
 पञ्च श्मावी पेशी कर सकते हैं दिनांक 1-7-24
 को जारी ल्यगन आदेश ता- फेंलला दावा *Confirmation*
 किए जाने से किसी पक्ष को जुकमान नहीं अपिठु
 अग्रपक्षों में विवाद नहीं बढने में सहायक ही होगा।
 अतः अप्रुबन्त विवेचन के आधार पर दिनांक 1-7-24 को
 जारी ल्यगन आदेश ता- फेंलला दावा *Confirmation* किया जात
 है आदेश सुनाया गया। पशावली काविल कपल की
 जाती है।

सहायक कलेक्टर
 सखण्डाधिकारी
 गण्ड